

न्यायालय उपजिला नजिस्केट एवं उपखण्ड अधिकारी

कार्यक्रम	समाप्ति	द्वारा	द्वारा

दिनांक 09-10-2019

आज पत्रावली पेश हुई। वादिया व उनके वकील को बार बार आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं है। इसके अलावा वादिया की ओर से यह वाद पत्र दिनांक 03-05-17 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वादिया को बार बार निर्देशित करने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण की तलबी हेतु तलबाना सम्मन प्रस्तुत नहीं किये गये है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादिया अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं है तथा वाद को चलाना नहीं चाहती है।

अतः वादिया का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया।

2  
 उपखण्ड अधिकारी  
 महवा (जिला दौसा)